

ख्या-1951/60-1-11-1/10 (47)/06

प्रेषक,

सदाकान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र०, शासन।

दिनांक 10/9/2011  
16/9/2011

सेवा में,

निदेशक,  
महिला कल्याण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर 2011

विषय- महिला कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं में अंशकालिक स्वच्छकार एवं रसोईयों को प्रचलित मानदेय में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-183/निदे०म०क०/प्रो००/2011-12, दिनांक 11.05.11 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम 2000 के अन्तर्गत निदेशालय महिला कल्याण, उ०प्र० के नियंत्रणाधीन 50 वर्कों वाली संस्थाओं के लिए रसोईया को मानदेय दर रु० 3,000/- प्रतिमाह एवं स्वच्छकार को रु० 2,000/- प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिये जाने पर सम्बन्धित विचारोपलब्ध श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में जे०जे० एक्ट एवं अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम तथा गैर अधिनियम से सम्बन्धित संस्थाओं पर, होने वाला व्यय बालू किरीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं०-49-के लेखा शीर्षक 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-04 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिर्वाहित योजनाएं-14-किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं/गृहों का संचालन (के० 75/रा० 25 -- के०-रा०)-42 अन्य व्यय के नामे आला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० सं०-ई-3-1667/रा०-2011 दिनांक 14.09.11 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सदाकान्त)  
प्रमुख सचिव।

CAO/CPO/ST

व्यय का निदेश

16-9-2011

2011

314 CPO

8/3/2011

262/2011

संख्या- (1)/60-1-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3।
- 4- समस्त उपमुख्य परीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

h

(भावना श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव।